...कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 63/2018
3. उनवान : 1. भंवरी देवी पत्नी श्री बीन्जाराम, निवासी ग्राम धानास, पोस्ट जोबनेर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी रामकुई (पचार), तहसील व जिला जयपुर।
   2. बीन्जाराम पुत्र स्व. श्री भोलूराम निवासी ग्राम धानास, पोस्ट जोबनेर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी रामकुई (पचार), तहसील व जिला जयपुर।

   बनाम

   1. ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी, पंचायत समिति सांभरलेक, जिला जयपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी।
   2. मीरा देवी पत्नी मुकेश जाट निवसी ग्राम खेडी अलुफा, पोस्ट पचार वाया कालावाड तहसील व जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 15.07.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री ओ.पी. वर्मा निगरानीकर्ता की ओर से।
   ब) रमेश सिंह राजावात गैर निगरानीकारान की ओर से ।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 सपठित नियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 बहक मीरा देवी

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रसंगत पटटा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 को मिसल संख्या 18/2013 –14, दिनांक दायर 20.09.2013 संकल्प संख्या 4 रसीद संख्या 74 गैर कानूनी तरीके से विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के हक में गलत, विधि विरूद्व व आवंटन नियमों की पालना के बगैर जारी किया गया है। प्रश्नगत पटटे में वर्णित भूखण्ड पर पट्टा जारी दिनांक से पूर्व व वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि निगरानीकर्तागण का कब्जा अर्शे कदीम से लगातार चला आ रहा है व निगरानीकर्तागण ने उसमें अपना बाडा बनाकर पशु बांधने के काम में लगातार उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। विपक्षी संख्या 2 धनबल एवं लट्ठ के बल पर प्रार्थी के बाडे पर कब्जा [illegible] उद्देश्य से सरपंच से सांठगांठ कर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे [illegible] निगरानीकर्तागण अर्शे कदीम से बाडा पशुओं को बांधने चारा रखने आदि के उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। परन्तु विपक्षीगण साजकर प्रार्थी के बाडे को हडप करने के उद्देश्य से उक्त प्रश्नगत पट्टा सरपंच से मिलीभगत कर प्रार्थी की भूमि का फर्जी पट्टा तैयार कराया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा कतई खिलाफ कानूनी व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व पट्टा जारी करने संबंधी नियमों की पालना नहीं कर विपक्षी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे से पूर्व व उसके बाद कभी भी विपक्षी संख्या 2 का कब्जा नहीं रहा। विपक्षी संख्या 1 द्वारा बिना वास्तविक तथ्यों की जानकारी के [illegible] किया गया है। उक्त पट्टा दिनांक 20.01.2014 को विपक्षी संख्या 2 के हक में [illegible] किया गया जो 194.13 वर्गगज का है, जो निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाडे का दिया गया है जिसका 50 वर्ष पूर्व से ही अधिक समय से निगरानीकर्तागण का कब्जा चला आ रहा है तथा करीब 50 वर्ष पूर्व से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। जिसमें [illegible]/2 हिस्से का पट्टा विपक्षी संख्या 2 को विपक्षी संख्या 1 ने दिया है। जिसका [illegible]पक्षी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, विपक्षी संख्या 2 ने सरपंच

से मिलीभगत कर उक्त फर्जी पट्टा बिना मौके पर गये व बिना विधिक प्रकिया अपनाये दिया गया है, इसलिये निरस्तनीय है।

निगरानीकर्तागण व उनके वंशजों के समय से उपरोक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। पशु बांधने का बाडा बनाकर रह रहे थे। निगरानीकर्तागण करीब एक वर्ष पूर्व से बीमार होने के कारण अपने पुत्र शंकरलाल के पास रामकुई पचार, जिला जयपुर रहने आ गये, तब पीछे से मौका पाकर गैर निगरानीकर्तागण ने साज कर मौका पाकर बिना विधिक प्रकिया से अवैध रूप से विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को पट्टा जारी कर दिया। जिसमें 50 वर्षों से अधिक समय से निगरानीकर्तागण पशु बांधन के काम में ले रहे हैं। निगरानीकर्तागण ने विपक्षी संख्या 2 के पट्टे की नकल प्राप्त कर देखा तो विपक्षी संख्या 2 को निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाडे के 1/2 हिस्से का पट्टा सरपंच से मिलकर फर्जी तैयार करवाया हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यवाही में कहीं भी कोरम के हस्ताक्षर नहीं है, ना ही स्वयं के वार्ड के वार्ड पंच के हस्ताक्षर हैं। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने साज कर उक्त पट्टा जारी करने करने के लिए एक गलत मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013 पंच कमीशन से तैयार करवाई गई, जिसमें बिना जांच किये मौका रिपोर्ट बना दी गई। इस बात की जांच नहीं की कि मौके पर निगरानीकर्तागण का बाडा है, लेकिन गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव की रहने वाली ही नही है। वह दूसरे गांव में रहती है जिसका यहां कोई राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में नाम नही है, ना ही पट्टे में गवाहों के हस्ताक्षर है ना ही आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में जो आपत्ति नोटिस जारी किये जाने थे, वे भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार से जारी नही किये फिर खानापूर्ति करने लिए फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया है। प्रश्नगत पट्टा जारी करने पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने कोई आम सूचना जारी नहीं की, ना ही आपत्ति मांगी गई, ना ही वास्तविकता की जांच की गई बल्कि विपक्षी संख्या 2 के प्रभाव में आकर गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को नाजायज लाभ पंहुचाने की गरज से प्रश्नगत पट्टा जारी क अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के कब्जाशुदा बाडे का 1/2 हिस्से का पट्टा जारी कर भयंकर त्रुटि की है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपने पट्टा आवेदन पत्र व शपथ पत्र में लिखा है उसका 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसमें पक्के मकानात बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है जो कि गलत है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 उक्त गांव में कभी नहीं रही, ना ही उक्त गांव का राशन कार्ड पहचान पत्र आदि है, दूसरे गांव की रहने वाली है, लेकिन गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने इस ओर कोई ध्यान न देकर साज कर गैरकानूनी तरीके से उक्त पट्टा जारी किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को पट्टा जारी करते समय बिना मौके की स्थिति देखे, बिना पंचायती रिकार्ड देखे बिना कोई जांच किये कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव की रहने वाली नही है, ना ही उसका राशन कार्ड बना हुआ है, ना ही वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही कब्जा है, ना ही मकान बना हुआ है, फिर भी राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 157 (1) के तहत गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में उक्त पट्टा जारी किया जाता है, जो 50 वर्षो से वहां रह रहा हो, कच्चे पक्के मकानात् बने हुए हो, जिनका जीर्णोद्धार करने के लिए पट्टा ले रहा हो। लेकिन अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने सभी नियमों को ताक में रखते हुए गुपचुप में कार्यवाही करतें हुए गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के हक में पट्टा जारी कर गंभीर कानूनी त्रूटि की है। उक्त पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को विपक्षी संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा बाडे में कब्जा करने की कोशिश करने व ऐलानिया धमकी देने पर हुई कि मैने इसका पट्टा पूर्व में बनवा लिया है, मै कब्जा लेकर ही रहुंगी। इस पर निगरानीकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 के फर्जी पट्टे की नकल व कागजात निकलवाये। निगरानीकार के बाडे पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा जबरन कब्जा करने के प्रयास के बाद मालूमात करने पर तथाकथित प्रश्नगत पट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तब पता चला कि प्रार्थी के अर्श कदीम से काबिज बाड पर साजकर तथाकथित प्रश्नगत पट्टा तैयार करवा लिया गया है। इस प्रकार गुपचुप में तैयार किये गये पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत कतई गैर कानूनी और होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत आर्बीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है।

अतिरिक्त कलक्टर

अन्त मे निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 बहक विपक्षी संख्या 2 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये एवं मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि निगरानीकर्ता ने उक्त उनवानी निगरानी कतई खिलाफ कानून के गैर निगरानीकार संख्या 2 के विरूद्व उसके पक्ष में विधिवत रूप से जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 20.01.2014 को गैर विधिक तरीके से हडप कर जाने पर व न्यायालय को गुमराह करने की गरज से प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्व व सारहीन व तथ्यहीन होने से काबिल–ए–खारिज है। निगरानीकार ने उक्त निगरानी केवलमात्र गैर निगरानीकार संख्या 2 को हैरान परेशान व खर्चे से जेरबार करने व उसके हक मे विधिसम्मत जारीशुदा पट्टा संख्या 9 दिनांकित 20.01.2014 को निरस्त करवाने की गरज से आधारहीन व हकीकत तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत की है। जो पत्रावली में शामिल मिसल ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी द्वारा पट्टा संख्या 9 जो कि दिनांक 20.01.2014 को गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी किया गया है, जिसके बाबत् संपूर्ण विधिसम्मत प्रकिया के प्रलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्वतः ही साबित हो जाता है कि निगरानीकार ने उक्त निगरानी केवलमात्र स्वंय को सदोष लाभ व गैर निगरानीकार संख्या 2 को सदोष हानि पहुंचाने की गरज से प्रस्तुत की है, जो चलने योग्य न होकर काबिले खारिज है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत पट्टा आवेदन हेतु गैर निगरानीकार संख्या 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 ने संपूर्ण विधिक प्रकिया अन्तर्गत पंचायत राज अधिनियम 1994 व सपठित अधिनियम 1996 की धारा 97 व पट्टा जारी किये जाने के बाबत् समस्त नियमो की अक्षरशः पालना करते हुए पट्टा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी किया है, जो किसी भी सूरत में गैर कानूनी न होकर विधि सम्मत है जिसे निरस्त करवाने का निगरानीकार को कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। जबकि इसके विपरीत निगरानीकार ने उक्त निगरानी न्यायालय को गुमराह करने व वास्तविक तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्यों की जानकारी को नजरदांज कर प्रस्तुत की जो काबिले खारिज है। गैर निगरानीकार संख्या 2 का उसके हक मे जारी किये गये पट्टा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 के भूखण्ड पर अर्से कदीम से कब्जा चला आ रहा है। जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 2 ने कच्चा फूंस का झोपडा बना रखा है, जो कि उसके मवेशियों का चारा, फूंस, ईंधन इत्यादि रखने हेतु उपयोग उपभोग लगातार निर्बाध रूप से किया जा रहा है। ऐसी सूरत में निगरानीकार का आज दिनांक तक कभी किसी भी प्रकार का कब्जा अथवा टाईटल इन्टरेस्ट पट्टा संख्या 9 वाले भूखण्ड पर नहीं रहा हैं तथा बिना कब्जा व टाईटल ईन्टरेस्ट के निगरानीकार ने केवलमात्र गैर निगरानीकार संख्या 2 को हैरान परेशान करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है जो चलने योग्य न होकर काबिल खारिज है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा आवेदन हेतु गैर निगरानीकार संख्या 1 के कार्यालय के समक्ष दिनांक 20.09.2013 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 व उसकी कोरम के समक्ष दिनांक 20.09.2013 को पेश हुआ, जिस पर विचार–विमर्श किया जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 ने पंचायत राज अधिनियम 1994 सपठित अधिनियम 1996 के तहत पट्टा जारी किये जाने बाबत् संपूर्ण नियमो की पालना करते हुए प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.09.2013 को नियम 146 के तहत प्रश्नगत भूखण्ड क मौका निरीक्षण कर निपोर्ट चाहने बाबत् 3 वार्ड पंचो की नियुक्ति की गई, जिस पर तीनों वार्ड पंचो ने गैर निगरानीकार संख्या 2 के कब्जेशुदा भूखण्ड का विधिक प्रकिया अपनाते हुए मौका निरीक्षण कर उन्होने अपनी पालना रिपोर्ट गैर निगरानीकार संख्या 1 के कार्यालय में दिनांक 20.12.2013 को प्रस्तुत कर दी जिस पर गैर निगरानीकार संख्या 1 के कार्यालय के पदासीन सरपंच व उसकी कोरम ने वार्ड पंचो द्वारा सौंपी गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा विचारविमर्श कर 30 दिवस की आपत्ति सूचना अन्तर्गत नियम/धारा 148 पंचायत राज अधिनियम 1994 सपठित अधिनियम 1996 के तहत ढाणी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस एस.पी. 2, प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.12.2013 को सार्वजनिक रूप से आम हेतु जारी किया गया जिसको गैर निगरानीकार संख्या 1 के चपरासी

ने वार्ड संख्या 13 मे वार्ड पंच को साथ लेकर सार्वजनिक स्थल पर दिनांक 20.12.2013 को गवाह प्रभूराम की मौजूदगी में चस्पा किया गया। ऐसी सूरत में यह संभव नहीं है कि निगरानीकारान अथवा अन्य खास व आम को उक्त नोटिस बाबत् किसी प्रकार की सूचना ना मिली हो। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि निगरानीकारान को उक्त नोटिस की चस्पादंगी दिनांक 20.12.2013 के बारे में पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी किसी भी तरह का आक्षेप अथवा आपत्ति गैर निगरानीकार संख्या 1 के समक्ष दर्ज नही करवाई गई जिस पर बाद गुजरने मियाद नोटिस गैर निगरानीकार संख्या 1 ने प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने बाबत् कार्यवाही सुचारू रूप से जारी रखते हुए गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया जिसको निरस्त करवाने का कोई विधिक अधिकार निगरानीकारान को हासिल नहीं है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने उपरोक्तानुसार पंचायत राज अधिनियम के तहत भूमि विक्रय विलेख पर पट्टा जारी किये जाने बाबत् संपूर्ण नियमों की पालना करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 2 (मीरा देवी पत्नी मुकेश जाट) के हक में नियमानुसार शुल्क जरिये रसीद संख्या 18/13–14 को प्रस्ताव संख्या 4 के जरिये गैर निगरानीकार संख्या 2 का प्रश्नगत पट्टे वाले भूखण्ड पर 25 वर्षो से भी अधिक समय का कब्जा साबित हो जाने पर पंचायत राज अधिनियम 1994 सपठित अधिनियम 1996 की धारा 157 (1) के अनुसरण में (1) 127.27 +(2) 66.86 कुल 194.13 वर्गगज का आवासीय पट्टा मय नक्शा जारी करने का सर्वसम्मति से फैसला दिनांक 20.01.2014 को लिखा जाकर ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी, पंचायत समिति सांभर, जिला जयपुर के कार्यालय में आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने का इन्द्राज बुक नम्बर 49 में करने के बाद सरे इजलास सुनाया गया तथा असल पट्टा संख्या 9 मय नक्शा व रसीद के गैर निगरानीकार संख्या 2 को सौंप दिया। ऐसी सूरत में निगरानीकारान ने उक्त निगरानी पत्रावली पर उपलब्ध मिसल दस्तावेजात् को दरकिनार करते हुए व हकीकत से परे जाकर आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत की है। गैर निगरानीकार संख्या 1 गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में प्रश्नगत पट्टा 9 को जारी करने मे किसी भी तरह की विधिक त्रूटि नहीं की है और ना ही गैर निगरानीकार संख्या 2 ने किसी तरह का लोभ प्रलोभन गैर निगरानीकार संख्या 1 को दिया है, ना ही किसी तरह का षडयंत्र रचा है। ऐसी सूरत मे निगरानीकारन ने उक्त निगरानी केवलमात्र रंजिशाना तौर पर गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में विधिसम्मत तरीके से जारीशुदा व कब्जेशुदा पट्टा संख्या 9 को हडप कर जाने व खर्चे से जेरबार करने हेतु प्रस्तुत किया है। निगरानीकारान ने निगरानी में वर्णित समस्त पदों में असत्य कथन उल्लेखनीय किये है जिनमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है तथा स्वंय को सदोष लाभ तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 को सदोष हानि पहुचाने की गरज से प्रस्तुत किया है तथा निगरानीकारान को गैर निगरानीकार संख्या 2 को किसी भी तरह की प्रश्नगत पट्टे बाबत् अस्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपात्तियों को रिकार्ड पर लिया जाकर स्वीकार फरमाया जावे तथा निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी को मय हर्जे खारिज फरमाया जावें।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निगरानीधीन पटट्ा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 को मिसल संख्या 18/2013 –14, दिनांक दायर 20.09.2013 संकल्प संख्या 4 रसीद संख्या 74 विधि विरूद्ध जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि निगरानीकर्तागण का कब्जा चला आ रहा है व निगरानीकर्तागण ने उसमें अपना बाडा बनाकर पशु बांधने के काम में लगातार उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। पट्टा दिनांक 20.01.2014 को विपक्षी संख्या 2 के हक में जारी किया गया जो 194.13 वर्गगज का है, जो निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाडे का दिया गया है जिसका 50 वर्ष पूर्व से ही अधिक समय से निगरानीकर्तागण का कब्जा चला आ रहा है। निगरानीकर्तागण के कब्जेशुदा बाडे के 1/2 हिस्से का पट्टा सरपंच से मिलकर फर्जी तैयार करवाया हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत की कार्यवाही में कहीं भी कोरम के हस्ताक्षर नहीं है, ना ही स्वय के वार्ड के वार्ड पंच के हस्ताक्षर हैं। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव की रहने वाली ही नही है। वह दूसरे गांव में रहती है जिसका यहां कोई राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में नाम नही है, गैर निगरानीकार संख्या 2 ग्राम खेडी अलूफा की रहने वाली है, जिसके सबूत के तौर पर निगरानीकार उस गांव की प्रमाणित मतदाता सूची की प्रति पेश ही है, जो वर्ष 2014 की है।

अतिरिक्त कलक्टर

साथ ही ना ही पट्टे में गवाहों के हस्ताक्षर है ना ही आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में जो आपत्ति नोटिस जारी किये जाने थे, वे भी ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार से जारी नही किये। केवल कागजों में ही आपत्ति नोटिस की खानापूर्ति की गई। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपने पट्टा आवेदन पत्र व शपथ पत्र में लिखा है उसका 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उसमें पक्के मकानात बनाकर उपयोग उपभोग कर रहे है जो कि गलत है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 को पट्टा जारी करते समय बिना मौके की स्थिति देखे, बिना पंचायती रिकार्ड देखे बिना कोई जांच किये कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 इस गांव की रहने वाली नही है, ना ही उसका राशन कार्ड बना हुआ है, ना ही वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही कब्जा है, ना ही मकान बना हुआ है, फिर भी नियमों की अवहेलना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत आर्बीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण निरस्तनीय है।

अतः अधीनस्थ ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 बहक विपक्षी संख्या 2 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि पट्टा संख्या 9 जो कि दिनांक 20.01.2014 को गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत पट्टा आवेदन हेतु गैर निगरानीकार संख्या 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो संपूर्ण विधिक प्रकिया अन्तर्गत एवं पंचायत राज अधिनियमों की अनुपालना में विधि सम्मत तरीके से जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने विवादित भूमि पर कच्चा फूंस का झोपडा बना रखा है, जो कि उसके मवेशियों का चारा, फूंस, ईंधन इत्यादि रखने हेतु उपयोग उपभोग लगातार निर्बाध रूप से किया जा रहा है। निगरानीकार का आज दिनांक तक कभी किसी भी प्रकार का कब्जा अथवा टाईटल इन्टरेस्ट पट्टा संख्या 9 वाले भूखण्ड पर नहीं रहा हैं। इसके अतिरिक्त गैर निगरानीकार संख्या 2 इसी गांव की रहने वाली है तथा उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है।

अतः निगरानीकार की निगरानी सारहीन एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हम निगरानीकार की निगरानी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के समक्ष गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ कब्जे, रहवास के साक्ष्य के बतौर कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं, जबकि नियमानुसार सामान्य रूप से आवेदन के साथ राशनकार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, वोटर आई.डी. कार्ड आदि को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। यहां तक कि गैर निगरानीकार संख्या 2 ने आवेदन पत्र में अपने कब्जे की अवधि का अंकन भी नहीं किया है और न ही शपथ पत्र में कब्जे की अवधि का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 का कब्जा 30/50 वर्ष मानने का कोई आधार नहीं है। जबकि निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार का निवास दूसरे स्थान पर साबित करने के लिए वोटर लिस्ट की प्रति संलग्न की है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे व रहवास के आधार पर जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 अवैध सिद्ध होता है और निगरानी स्वीकार योग्य ज्ञात होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 20.01.2014 निरस्त किया जाता है तथा गैर निगरानीकार संख्या 1 को निर्देश दिये जाते हैं कि 3 माह में विवादित भूमि का पट्टा कब्जे व रहवास के साक्ष्यों के आधार पर संबंधित को जारी करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)